106

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3183–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–6–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 99/अपील/2011–12

.....

1–संतोष आत्मज मूलचंद

2–यशवंत आत्मज मूलचन्द

दोनों निवासी ग्राम पोखरनी तहसील टिमरनी

जिला हरदा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–कली बाई पत्नि स्व0मूलचन्द

2–रूकमणी बाई पत्नि स्व0मूलचन्द

दोनों निवासी ग्राम पोखरनी तहसील टिमरनी

जिला हरदा ..... अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/2/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि 117/1ग1 एवं सर्वे नम्बर 117/1छ1 कुल रकबा 4.63 एकड़ भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय हरदा द्वारा दिनांक 28–6–2011 आदेश पारित किया जाकर डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार टिमरनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2011 के अनुसार आवेदक कमांक 1 का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–03–2012 को आदेश पारित कर माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के निर्णय दिनांक 28–6–2011 के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में माननीय विशेष न्यायाधीश हरदा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 6–9–2011 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–06–2015 को अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बन्धनकारी होगा । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त को आदेश पारित नहीं कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में लंबित रखना थी, परन्तु ऐसा नहीं कर उनके द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के दौरान राजस्व अभिलेख में संशोधन नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा हो चुका है और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से वह उभयपक्ष पर बंधनकारी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा जिस डिक्री के आधार पर आदेश

पारित किया गया है उसे वरिष्ठ न्यायालय विशेष न्यायाधीश के समक्ष चुनोती दी गई है उसमें दिनांक 06–09–2011 को आवेदकगण के पक्ष में स्थगन दिया गया है, इसके बावजूद आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में डिक्री पारित की गई है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है। अतः आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से जो भी निर्णय होगा, वह उभयपक्ष पर बन्धनकारी होगा, परन्तु जब तक व्यवहार न्यायालय की डिक्री निरस्त नहीं होकर अस्तित्व में रहता है, तब राजस्व न्यायालय उक्त डिक्री के पालन में आदेश पारित करने के लिये बाध्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक के द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के व्यवहार वाद कमांक 05–ए/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28–6–2011 के अनुसार माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हरदा के समक्ष सिविल अपील कमांक 14ए/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2015 के अनुसार यह विनिश्चय किया गया कि वादग्रस्त भूमि की अनावेदिका एकमात्र स्वामी है तथा वह जीवित है और उसे उक्त भूमि उसके माता पिता से प्राप्त हुई है जो कि आवेदकगण की न तो पैतृक संपत्ति है और न ही उक्त संपत्ति बंटवारे में प्राप्त हुई है । बंटवारे में जो संपत्ति अनावेदिका को अपने पति से हिस्से में प्राप्त हुई थी उसने विक्रय कर दी है । ऐसी स्थिति में बिना कोई वैध दस्तावेज निष्पादित किये बिना अनावेदिका की वादग्रस्त भूमि का बंटवारा एवं नामान्तरण किये जाने की कार्यवाही अवैधानिक माना गया तथा तहसीलदार द्वारा की गई बंटवारा एवं नामान्तरण की कार्यवाही से आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होना पाया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा वास्तविक तथ्य एवं दस्तावेजों का परीक्षण

किये बिना आदेश पारित किया गया है, जिसे आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है क्योंकि प्रकरण में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अपील में कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर